रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- 76/2026/2145/22-02-2025-17(1154)/2023

लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गांधी जयन्ती 2025 (02 अक्टूबर, 2025) के अवसर पर आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवनाथ (कैदी संख्या-17229) पुत्र श्री जिलेदार, निवासी ग्राम-रूकमंगतपुर दा0-भैंसहा, थाना-कौडिया, जिला-गोण्डा जिसे सत्र परीक्षण संख्या-182/2008 में धारा-302/34, 449, 504, 506(2) आई.पी.सी व 7 सी०एल०ए० एक्ट के अन्तर्गत मा० प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के आदेश दिनांक 26.02.2010 आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश दिनांक 14.12.2017 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 21 दिन एवं 20 वर्ष, 07 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 76/2026/2145(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
3- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in